फर्द अहक़ाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानग़ढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– **अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 45/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2019	(कार्यवाही नीचे)	

28.06.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सुजानगढ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृश्टिगत रखते हुए प्रार्थी रामजीलाल पारीक ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक छापर की रिपोर्ट तथां तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में पुराना खाता संख्या 47 नया खाता संख्या 47 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	**पाण्डोराई**	**47**	**रामजीलाल पुत्र सोहनलाल जाति रावणा राजपुत**	**रामजीलाल पुत्र सोहनलाल जाति शर्मा पारीक**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

28/06/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ